न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-4 कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी बीना गुप्ता, आर.जे.एस.(D.J. Cadre)
सैशन प्रकरण संख्या 515/2024
एफआईआर नंबर 255/2020 पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा
अपराध अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25 आयुध अधिनियम

परिवादी	राजस्थान राज्य
अधिवक्ता परिवादी	अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व विवरण	1- पुनित सुमन उर्फ जिम्मी पुत्र रमेश चंद, निवासी 740 महावीर नगर द्वितीय, पुलिस थाना महावीर नगर कोटा 2- बंटीवर्धन पुत्र निपेन्द्र वर्धन, निवासी 326 केशवपुरा सेक्टर-4 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री हनीफ मोहम्मद खान श्री अंकुर जैन

ब.

अपराध की दिनांक	08-06-2020 और उससे पूर्व
एफआईआर की दिनांक	08-06-2020
चालान पेश करने की दिनांक	19-12-2020
आरोप लगाने की दिनांक	19-07-2024, 07-10-2024
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ दिनांक	02-04-2025
निर्णय आरक्षित रखने की दिनांक	--

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

क्र.सं.	**रैंक**	**नाम**
1	पी0 ड 0-1	जयवीर सिंह
2	पी0 ड 0-2	सतवीर सिंह
3	पी0 ड 0-3	विश्वेन्द्र सिंह
4	पी0 ड 0-4	मोहम्मद आरिफ
5	पी0 ड 0-5	रामसिंह
6	पी0 ड 0-6	बाबूलाल

Authenticated Document

7	पी0 ड 0-7	कैलाश
8	पी0 ड 0-8	प्रेमचंद
9	पी0 ड 0-9	पंकज गुप्ता
10	पी0 ड 0-10	पवन कुमार

ब. बचाव साक्षीगण

क्र.सं.	रैंक	नाम
--	--	--

स. न्यायालय साक्षीगण

क्र.सं.	रैंक	नाम
--	--	--

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन

क्र.सं.	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी-1	फर्द जप्ती व चैकिंग
2	प्रदर्श पी-2	फर्द गिरफतारी अभियुक्त
3	प्रदर्श पी-3	नक्शा मौका घटनास्थल
4	प्रदर्श पी-4	फर्द तस्दीक नक्शा खरीद स्थान
5	प्रदर्श पी-5 लगायत 7	रोजनामचा रपट
6	प्रदर्श पी-8	आरमोरर रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी-9 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
8	प्रदर्श पी-10	दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
9	प्रदर्श पी-11 व 12	आपराधिक रिकार्ड
10	प्रदर्श पी-13	अभियोजन स्वीकृति
11	प्रदर्श पी-14	चाक एफआईआर
12	प्रदर्श पी-15 ए	चिटमाल प्रति

ब. बचाव पक्ष

क्र.सं.	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
--	--	--

स. न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
--	--	--

द. भौतिक वस्तु

क्र.सं.	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	आर्टिकल-1	देशी पिस्टल
2	आर्टिकल-2	मैगजीन
3	आर्टिकल-3 लगायत 5	तीन जिंदा कारतूस

: : निर्णय : : दिनांक : 14-07-2026

अभियुक्तगण पुनित सुमन उर्फ जिम्मी व बंटीवर्धन के विरूद्ध यह प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-4 कोटा के द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25 आयुध अधिनियम की अन्वीक्षा हेतु माननीय सेशन न्यायालय कोटा में कमिट किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

02. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08-06-2020 को परिवादी पवन कुमार, एसएचओ पुलिस थाना महावीर नगर कोटा ने फर्द चैकिंग व जप्ती थाने पर इस आशय की पेश की कि दिनांक 08-06-2020 को मन् एसएचओ पवन कुमार मय हमराही जाप्ता एएसआई सतवीर सिंह, कॉनि० विश्वेन्द्र सिंह, रामसिंह, जयवीर सिंह मय सरकारी जीप मय चालक कैलाश चंद के गश्त इलाका करते हुए टीवीएस सर्किल के पास पहुंचे, जहां जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने नारंगी रंग की टी-शर्ट व लोअर पहन रखी है जो बालाजी मार्केट में रजत सिटी के सामने नाले के पास खड़ा है जिसके पास एक अवैध देसी पिस्टल है जो कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत करवाया तथा मौके से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये गये सांकेतिक स्थान पर पहुंचे, जहां बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति नजर आया जो बावर्दी पुलिस को देखकर तेज कदमों से रजत सिटी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटीवर्धन पुत्र निपेन्द्र वर्धन होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु जयवीर सिंह को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु रवाना किया, किन्तु स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर मन एसएचओ ने जाप्ते में से कॉनि० जयवीर सिंह और विश्वेन्द्र सिंह को

Authenticated Document

नियमानुसार स्वतंत्र गवाह मामूर कर बंटीवर्धन की तलाशी ली तो बंटीवर्धन द्वारा पहने हुये लोअर / पायजामा में सामने की दांई तरफ एक देसी पिस्टल छिपाई हुई मिली, जिसको बाहर निकलवाकर चैक किया तो उक्त देसी पिस्टल में लगी मैगजीन के अंदर तीन जिंदा कारतूस 7.65 बोर के मिले। पिस्टल पुरानी इस्तेमाली लोहे की थी। बंटीवर्धन से देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया तथा देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से खरीदना बताया। बंटीवर्धन का कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से बंटीवर्धन से बरामद अवैध देसी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिन्दा कारतूसों को बतौर वजह सबूत जप्त कर सील्डमोहर किया तथा बंटीवर्धन को गिरफ्तार किया इत्यादि.......................।

03. उक्त फर्द चैकिंग व जप्ती के आधार पर पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-255/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी के विरूद्ध आरोपपत्र धारा 5/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त बंटीवर्धन के विरूद्ध आरोपपत्र धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

04. तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी को धारा 5/25 आयुध अधिनियम के तथा अभियुक्त बंटीवर्धन को धारा 3/25 आयुध अधिनियम आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार किये व अन्वीक्षा चाही।

05. तत्पश्चात दिनांक 03-12-2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला माननीय सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के न्यायालय में उपार्पित किया, जहां से कालांतर में यह प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0-1 लगायत पी0ड0-10 की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-01 लगायत प्रदर्श-15 ए दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया ।

07. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन तथ्यों को गलत होना बताया तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद कर पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई।

08. बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया

गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) आया दिनांक 08-06-2020 को समय 4.15 पीएम के लगभग पुलिस थाना महावीर नगर कोटा के क्षेत्राधिकार में बालाजी मार्केट रजत सिटी के सामने नाले के पास अभियुक्त बंटीवर्धन के वास्तविक कब्जे व आधिपत्य से एक देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिंदा कारतूस मिले, जिनको अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था तथा अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी ने अभियुक्त बंटीवर्धन को उक्त देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिंदा कारतूस विक्रय किये, जिन्हें विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी के पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था ?

(2) यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दंडित किया जाये कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाये ?

09. इस संबंध में विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की।

10. इसके खण्डन में अभियुक्तगण के अधिवक्तागण का यह तर्क है कि प्रकरण में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अभियोजनपक्ष द्वारा प्रकरण में मामले को साबित करने हेतु स्वतंत्र साक्षी को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे अभियोजन मामले में संदेह पैदा होता है। साथ ही अभियोजनपक्ष द्वारा पेश गवाहान की साक्ष्य के मध्य विरोधाभास है, जो मामले को संदेहास्पद बनाता है। ऐसी सूरत में अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियोजनपक्ष का मामला संदेहास्पद है, अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

11. उभयपक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में मेरा विवेचन निम्नानुसार है:-

12. अभियोजनपक्ष ने अपने मामले को साबित करने हेतु कुल 10 गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया है।

गवाह पी0 ड 0-1 जयवीर सिंह मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 08.06.2020 को मैं थाना महावीर नगर पर कांस्टेबल के पद पर

कार्यरत था। उस दिन सीआई साहब पवन कुमार मीणा, सतवीर सिंह एएसआई, रामसिंह कांस्टेबल, विश्वेन्द्र कॉस्टेबल, सरकारी जीप चालक कैलाशचंद और मैं आदि इलाका गश्त के लिए थाने से एसपी साहब के आदेश से रवाना हुए। इलाका गश्त करते हुए हम टीवीएस सर्किल के पास पहुंचे। जहां मुखबिर से सीआई साहब को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका रंग गेहुंआ और जिसने नारंगी कलर की टीशर्ट व पाजामा पहन रखा है, जो बालाजी मार्केट में रजत सिटी के सामने नाले के पास खड़ा है। जिसके पास एक अवैध देशी पिस्टल है, जिससे वो कोई वारदात कर सकता है। सूचना विश्वस्त होने पर सीआई साहब ने हमराही जाब्ते को अवगत कराकर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर पहुंचे। जहां पर मुखबिर के द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति खड़ा हुआ मिला। जो हमराही जाब्ता को देखकर तेज कदमों से चलने लगा। जिसको सीआई साहब ने हमराही जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकड़ा। उक्त शख्स से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटीवर्धन बताया, जिसकी तलाशी हेतु मुझे स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा। कानून की पेचीदगियों के कारण कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दस मिनिट बाद मैंने सीआई साहब को आकर बताया तो सीआई साहब ने हमराही जाब्ते में से मुझे और विश्वेन्द्र कॉस्टेबल को मौखिक सहमति से गवाह बनाया। सीआई साहब ने रोके गए संदिग्ध बंटी की तलाशी लेने से पूर्व अपनी तलाशी हमें दी थी और हमने हमारी तलाशी सीआई साहब को दी थी। हमारे पास कोई अवैध वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् सीआई साहब ने बंटीवर्धन की तलाशी ली तो बंटीवर्धन के पाजामे के सामने की ओर से एक देशी पिस्टल छिपाई हुई मिली, जिसे बाहर निकालकर चैक किया तो देशी पिस्टल में मैग्जीन लगी हुई थी, जिसके अंदर तीन जिंदा कारतूस रखे हुए थे। जिंदा कारतूसों को मैग्जीन निकालकर अनलॉड किया। मुलजिम से अवैध हथियार, देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिम ने उक्त देशी पिस्टल पुनित उर्फ जिम्मी से खरीदना बताया। बाद वापसी मुलजिम के खिलाफ धारा 3/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था। फर्द जब्ती चैकिंग प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम बंटीवर्धन प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-3, तस्दीक नमूना खरीद स्थान मुलजिम पुनित सुमन उर्फ जिम्मी प्रदर्श पी-4 गश्त इलाका है। उक्त सभी फर्दो पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना जाहिर किया है। नक्शा मौका घटनास्थल एवं तस्दीक नमूना खरीद स्थान से संबंधित रवानगियां प्रदर्श पी-5, 6 और 7 हैं।

13. गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन से वह पुनित सुमन को जानता हो, उसके पहचान के संबंध में कोई फर्द ना तो मौके पर बनाई, ना ही ऐसी फर्द पत्रावली

पर है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि इस प्रकरण में समस्त गवाहान पुलिसकर्मी हैं। प्रदर्श पी-4 बनाए जाने के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह लाने के लिए कोई पृथक से फर्द बनाई गई तो मुझे आज याद नहीं है, अनुसंधान अधिकारी बता सकते हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन ने उक्त पिस्टल को पुनित सुमन से कितने में खरीदा, इस संबंध में प्रदर्श पी-1 पर कोई रकम का हवाला नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि पुनित सुमन से किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि दिनांक 10.06.2020 को प्रदर्श पी-4 बनाते समय पुनित सुमन उसके मकान पर नहीं मिला था। पुनित सुमन उस मकान में रहता हो इस सबंध में उसके परिवारजन के हस्ताक्षर प्रदर्श पी-4 में नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि प्रदर्श पी-4 हमने बंटीवर्धन के कहे अनुसार ही बनाया था, उसने कहा था कि मैं इस स्थान से पुनित सुमन से हथियार खरीद कर ले गया हूं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि मेरे समक्ष बंटीवर्धन और पुनित सुमन को आमने-सामने खड़ा करके इस बात की ताईद नहीं कराई गई कि उक्त पिस्टल बंटीवर्धन ने खरीदा हो और पुनित सुमन ने बेची हो। जब सूचना मिली उस समय हम लोग टीवीएस सर्किल पर खड़े थे। सूचना मिलने के बाद हम बालाजी मार्केट रजत सिटी के सामने नाले के पास रवाना हो गए थे। हमें वहां पर जो व्यक्ति मिला उसे सीआई साहब ने चैक किया था। बंटीवर्धन को जब चैक किया तो उसके पास देशी पिस्टल बरामद हुई थी। मैंने उक्त पिस्टल को देखा था, उसके हत्थे पर लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी तथा दो स्क्रू लगे हुए थे और बैरल पर ''मेड इन यूएसए नंबर 21'' लिखा हुआ था। जब्ती की कार्यवाही के समय हमारे द्वारा कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। बंटीवर्धन के पास पिस्टल के अलावा तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। इसके अलावा बंटीवर्धन से मोबाइल, पैसे या अन्य कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। प्रदर्श पी-1 व पी-2 पर मैंने हस्ताक्षर थाने पर नहीं किए थे, बल्कि मौके पर ही किए थे। प्रदर्श पी-3 एक दिन बाद बनाया था। प्रदर्श पी-3 जिस स्थान का है वहां पर आवाजाही रहती है।

14. **गवाह पी0 ड 0-2 सतवीर सिंह** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2020 को मैं थाना महावीर नगर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैं सीआई साहब पवन कुमार मीणा, जयवीर कांस्टेबल, रामसिंह कांस्टेबल, विश्वेन्द्र कांस्टेबल, सरकारी जीप चालक कैलाश चंद वास्ते चैकिंग गुंडा-बदमाशान व अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु श्रीमान् एसपी साहब के आदेशानुसार थाने से 02.57 पीएम पर रवाना होकर इलाका गश्त करते हुए हम टीवीएस सर्किल के पास पहुंचे। जहां जर्ये मुखबिर से सीआई साहब को सूचना

मिली कि एक व्यक्ति जिसका रंग गेहूंआ और जिसने नारंगी कलर की टीशर्ट व लोअर पाजामा पहन रखा है, जो बालाजी मार्केट में रजत सिटी के सामने नाले के पास खड़ा है। जिसके पास एक अवैध देशी पिस्टल है, जिससे वो कोई वारदात कर सकता है। सूचना विश्वस्त होने पर सीआई साहब ने हमराही जाब्ते को अवगत कराकर टीवीएस सर्किल से रवाना होकर सांकेतिक स्थान बालाजी मार्केट रजत सिटी के सामने पहुंचे तो मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिये का व्यक्ति खड़ा नजर आया। जो पुलिस को बावर्दी देखकर तेज कदमों से रजत सिटी की तरफ जाने लगा। जिसको सीआई साहब ने हमराही जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकड़ा। उक्त शख्स को यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत दी और पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम घबराते हुए बंटीवर्धन पुत्र निपेन्द्र वर्धन, केशवपुरा महावीर नगर का होना बताया था, जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से हमराही जाप्ते में से सीआई साहब ने मौखिक आदेश देकर जयवीर कांस्टेबल को स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु रवाना किया। जिसने 10 मिनट बाद आकर बताया कि कानून की पेचीदगियों व कोरोना संक्रमण के कारण कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमराही जाप्ते में से जयवीर कांस्टेबल और विश्वेन्द्र कांस्टेबल को मौखिक सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर कर पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने हेतु सीआई साहब ने स्वयं की तलाशी गवाहो को दी तथा गवाहों की तलाशी सीआई साहब ने ली। उसके बाद उक्त शख्स बंटीवर्धन की तलाशी लेना प्रांरभ किया तो बंटीवर्धन ने पहने हुए लोअर पाजामा में से दांहिनी तरफ एक पिस्टल मिली, जिसको बाहर निकालकर चैक किया तो मैग्जीन लगी हुई थी मैग्जीन को भी पिस्टल से निकालकर चैक किया तो उसके अंदर तीन जिंदा कारतूस मिले जो 7.65 एमएम के थे पिस्टल के दोनों तरफ लकड़ी की पत्तियां और दो-दो स्क्रू लगे हुए थे और पिस्टल के बैरल पर ''मेड इन यूएसए 21'' लिखा हुआ था। मुलजिम से अवैध हथियार, देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस रखने बाबत अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया तथा पिस्टल के बारे में पूछा तो उक्त शख्स ने उक्त देशी पिस्टल पुनित उर्फ जिम्मी से खरीदना बताया था। उक्त शख्त बंटीवर्धन का अपने कब्जे में अवैध देशी पिस्टल रखना धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दंडनीय अपराध होने से पिस्टल व कारतूस को बतौर वजह सबूत जब्त कर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर सीलमोहर किया। जर्ये फर्द गिरफ्तारी के मुलजिम को गिरफ्तार किया। वापसी थाना पर सीआई साहब द्वारा मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम को बंद हवालात कर सुपुर्द संत्री किया तथा माल को जमा मालखाना किया गया। फर्द जब्ती चैकिंग प्रदर्श पी-1 है, जिस पर ई से एफ मेरे और सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। ऐसा

ही कथन **गवाह पी0 ड 0-3 विश्वेन्द्र सिंह, पी0 ड 0-5 रामसिंह व पी0 ड 0-7 कैलाश** ने किया है।

15. **गवाह पी0 ड 0-2 सतवीर सिंह** ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन से कि वो पुनित सुमन को जानता हो उसके पहचान के संबंध में आमने-सामने खड़ा करके वो दोनों एक-दूसरे को जानते हो इस संबंध में ना तो कोई ऐसी फर्द बनाई और ना ही पत्रावली पर ऐसी कोई फर्द है। बंटीवर्धन ने पुनित से पिस्टल खरीदना बताया था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि इस प्रकरण में सभी गवाहान पुलिसकर्मी हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि फर्द जब्ती में इस बात का अंकन नहीं है कि बंटीवर्धन ने पुनित सुमन से उक्त पिस्टल कितने रूपये में और कितने समय पहले खरीदी थी। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि पुनित उर्फ जिम्मी से मेरे सामने कोई आलायजर्ब जब्त नहीं हुआ। मेरे द्वारा बंटीवर्धन को चैक नहीं किया गया था। बंटीवर्धन को सीआई साहब ने चैक किया था और सीआई साहब को गवाह जयवीर सिंह और विश्वेन्द्र ने चैक किया था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जब बंटीवर्धन को चैक किया गया तो वहां पर कोई स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं था, अज खुद कहा कि स्वतंत्र गवाह को लेने भेजा था लेकिन स्वतंत्र गवाह कोई बना नहीं। जब्तशुदा पिस्टल देशी पिस्टल थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया है कि इस तरीके के आर्म्स एक्ट के मुकदमे हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश से बनाए जाते हैं।

16. **गवाह पी0 ड 0-3 विश्वेन्द्र सिंह** ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि इस प्रकरण में सभी गवाह पुलिसकर्मी ही हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि फर्द जब्ती चैकिंग प्रदर्श पी-1, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-3 और प्रदर्श पी-4 फर्द तस्दीक नक्शा खरीद स्थान इन सभी में मैं गवाह हूं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन और पुनित सुमन को आमने-सामने करवाकर उनकी पहचान के संबंध में कि वो एक-दूसरे को जानते हों ऐसी कोई फर्द ना तो बनाई और ना शामिल पत्रावली की। तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 के संबंध में हमारी थाने से रवानगी पत्रावली में नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन से पुनित ने पिस्टल कितने रूपये में खरीदी, कब खरीदी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं ली गई। मौके की समस्त कार्यवाही रीडर रामसिंह की कलमी है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि पुनित सुमन से मेरे सामने कोई आलायजर्ब बरामद नहीं हुआ। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन को चैक किया गया था उस समय वहां पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था, अज खुद कहा कि जाप्ते का स्टाफ था।

नक्शा मौका 9 तारीख को बनाया गया था। मुझे किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। मेरे सामने ही मुखबीर द्वारा सीआई साहब को फोन पर सूचना दी गई थी। फिर सीआई साहब ने हमें बताया था। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है कि इस प्रकार के मुकदमें हम अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर दर्ज करते हैं।

17. **गवाह पी0 ड 0-5 रामसिंह** ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि इस प्रकरण में समस्त गवाहान पुलिसकर्मी है कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। मेरे केवल फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर हैं मौके पर बनाई गई अन्य फर्दों पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि आईओ ने बंटीवर्धन एवं पुनित सुमन उर्फ जिम्मी को आमने-सामने खड़ा करके वह एक दूसरे को जानते हो इस संबंध में मेरे सामने कोई पूछताछ रिपोर्ट या एक-दूसरे को पहचान करने की रिपोर्ट नहीं बनाई। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त बंटीवर्धन ने इस बात का कथन नहीं किया था कि पिस्टल कब खरीद की और कितने रूपये में खरीद की। इस संबंध में कोई जानकारी मेरे सामने बंटीवर्धन द्वारा नहीं दी गई थी। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी के कब्जे से काई आलायजर्ब चाकू, तलवार, छुर्री, रिवाल्वर, पिस्टल, कट्टा आदि मेरे सामने जब्त नहीं हुई। अभियुक्त बंटीवर्धन को सीआई साहब श्री पवन कुमार ने चैक किया था। सीआई साहब को जयवीर ने चैक किया था। सीआई साहब के पास कुछ नहीं मिला था दैनिक उपयोग की चीजें थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। फर्द जब्ती चैंकिंग बनाते समय कोई भी स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं था और ना ही कोई राजपत्रित अधिकारी वहां पर उपस्थित था। हमें तीन कारतूस मिले थे, उन कारतूसों पर एक्सपायरी डेट लिखी थी या नहीं मुझे पता नहीं। उक्त कारतूस की मेन्यूफ्रेक्चरिंग डेट अंकित नहीं थी। गवाह ने इस बात को गलत बताया है कि उक्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो और मैं इस जब्ती का हिस्सा नहीं हूं मैंने केवल थाने पर ही हस्ताक्षर किए हो।

18. **गवाह पी0 ड 0- 7 कैलाश** ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि मैं उस दिन सरकारी जीप चालक था। हर सरकारी वाहन की लॉग बुक होती है। गवाह ने पत्रावली देखकर कहा की लॉग बुक पत्रावली में नहीं है मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति पत्रावली में नहीं है। मौके के सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। गवाह ने इस बात को गलत बताया है कि मैं अपने सरकारी वाहन में बैठा रहा हूं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि मेरे समक्ष बंटीवर्धन व पुनित उर्फ जिम्मी को इस संबंध में कि दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हों, ऐसी फर्द नहीं बनाई। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जप्तशुदा आर्टिकल मेड इन हेपली लिखा हुआ था।

पुनित सुमन को मेरे समक्ष गिरफतार नहीं किया था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जप्ती के समय मैं वाहन को छोडकर मौके पर आ गया था। प्रदर्श पी-01 में हम किस वाहन से गए थे उसके नंबर अंकित नहीं हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि मेरे इस प्रकरण में किसी भी फर्द पर हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह ने इस बात को गलत बताया है कि मेरे हस्ताक्षर इसलिए नहीं हैं क्योंकि मैं जप्ती की कार्यवाही में नहीं था।

19. **गवाह पी0 ड 0-4 मोहम्मद आरिफ** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 23.06.2020 को आरमोरर के पद पर पुलिस लाईन कोटा शहर में पदस्थापित था। उस दिन थाना महावीर नगर से प्रेमचंद एएसआई एक पैकेट सफेद प्लास्टिक के डिब्बे में जो थाना महावीर नगर कोटा की सील से सील्ड था जिसे मय तहरीर के मैकेनिक मुआयना हेतु लेकर आए। जिसकी सील मोहर तोड़कर देखा तो उसके अंदर एक देशी पिस्टल व तीन कारतूस निकले थे। देशी पिस्टल मय मैग्जीन के लोहे की बनी हुई थी जिसके दोनों तरफ ग्रिप लगे हुए थे। हैमर, बैरल व ट्रिगर पर निकल पोलिश की हुई थी। स्लाईड के बाएं तरफ मेड इन यूएसए नंबर 21 लिखा हुआ था तथा दाएं तरफ 7.65 व 7 राउंड लिखा था। बैरल के उपर ''ऑनली फोर स्पलाई'' लिखा था जिसके सभी पुर्जे लगे हुए थे। जिसका बोर 7.65 एमएम था। फायरिंग एक्शन फायर योग्य था जो आग्नेयास्त्र की श्रेणी में आता है। तीन कारतूस पीतल के बने हुए थे जिंदा हालत में निकले थे जिनकी कैप पर केएफ 7.65 लिखा था। बोर भी 7.65 एमएम था। जो फायर एमुनेशन की श्रेणी में आते हैं। जो देशी पिस्टल से फायर किए जा सकते हैं। बाद मुआयना उसी सफेद डिब्बे में रखकर आरमोरर आरएल कोटा सिटी की सील से सील्ड कर मय निरीक्षण रिपोर्ट के प्रेमचंद एएसआई को संभलाया। मेरी मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी मेरी रिपोर्ट है व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है, ई से एफ प्रेमचंद एएसआई के हस्ताक्षर है व एक्स तीन स्थानों पर नमूना सील अंकित है।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मैंने उस हथियार को परीक्षण के दौरान फायर करके नहीं देखा। सही स्थिति जिंदा कारतूस फायर करके देखने पर ही पता चल सकती है। कारतूस की सीमा 3 वर्ष तक की होती है उसके बाद वे एक्सपायर माने जाते हैं मतलब चलने योग्य नहीं माने जाते। उन कारतूस का निर्माण कब हुआ था, उसके संबंध में कारतूस पर कोई भी सन् का इंद्राज नहीं था।

21. **गवाह पी0 ड 0-6 बाबूलाल** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 08.06.2020 को थाना महावीर नगर में हेड कांस्टेबल एवं मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 255/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में श्री पवन जी सीआई साहब ने

मुलजिम बंटीवर्धन के कब्जे से बालाजी मार्केट रजत सिटी के सामने से एक अवैध देशी पिस्टल मय तीन जिंदा कारतूस के जब्त कर एक सील्डशुदा प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर जमा मालखाना करवाया जिसे मैंने मालखाना रजिस्टर वर्ष 2020 के क्रमांक 211 पर इंद्राज किया था। दिनांक 23.06.2020 को प्रेमचंद एएसआई को सील्डशुदा पैकेट को देकर मैकेनिकल मुआयना आरमोरर हेतु पुलिस लाईन कोटा शहर रवाना किया था, जिसने दिनांक 23.06.2020 को आरमोरर की सील से सील्डशुदा पेकेट लाकर जमा मालखाना करवाया था। दिनांक 18.08.2020 को प्रेमचंद जी एएसआई को सील्डशुदा पैकेट अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु देकर रवाना किया था जिसने दिनांक 18.08.2020 को वापस जमा मालखाना करवाया था। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी माल जमाकर्ता के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-9 का ई से एफ भाग मेरी कलमी है। प्रदर्श पी-9 की प्रति संलग्न पत्रावली है जो प्रदर्श पी-9 ए है।

22. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि जब्तशुदा माल जो मेरे समक्ष जमा करवाया था उसके चिट पर जो अंकन लिखा हुआ था, वही अंकन मैंने मालखाना रजिस्टर में लिखा था। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जब्तशुदा माल एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में मेरे द्वारा जमा किया गया था। मेरे पास जब माल जमा होने के लिए आया था तो उस समय उस पर थाने की सील लगी हुई थी। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जब्ती के संबंध में मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई।

23. **गवाह पी0 ड 0-8 प्रेमचंद** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.06.2020 को थाना महावीर नगर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन प्रकरण संख्या- 255/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अनुसंधान प्राप्त होने पर दौराने अनुसंधान पवन कुमार, सतवीर सिंह, कैलाश चंद, जयवीर सिंह, विश्वेन्द्र, रामसिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। पवन कुमार पु0 नि0 की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया। मुलजिम बंटी से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-10 प्राप्त हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि मैंने पुनित सुमन से खरीद किये थे, उसका मकान चल कर बता सकता हूं। मुलजिम की निशादेही तस्दीक नक्शा खरीद स्थान प्रदर्श पी-4 बनाया था। मेरी रवानगी नक्शा मौका बाबत प्रदर्श पी-6 है, प्रदर्श पी-7 मेरी रवानगी है। प्रदर्श पी-8 आर्मोरर रिपोर्ट है, जिस पर ई से एफ स्थान पर प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा अभियोजन स्वीकृति शामिल पत्रावली की गई थी। मेरे द्वारा मुलजिम पुनित तथा बंटीवर्धन का आपराधिक रिकोर्ड शामिल पत्रावली किया था। जिनकी प्रति प्रदर्श पी-11 व

पी-12 है। संपूर्ण तफतीश से मैने मुलजिम पुनित सुमन के विरूद्ध धारा 5/25 आयुध अधिनियम में अपराध तथा बंटीवर्धन के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध पाए जाने पर बाद अनुसंधान पत्रावली मैंने एसएचओ को दे दी थी।

24. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि जिस सरकारी वाहन से जप्ती अधिकारी व जाप्ता गया था उसकी लॉग बुक नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से कोई आलायजर्ब बरामद नहीं किया गया। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि बंटीवर्धन व पुनित सुमन को आमने सामने खडा करके दोनों एक दूसरे को जानते हों ऐसी कोई फर्द नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि जप्तशुदा आर्टिकल का भौतिक सत्यापन कलेक्टर महोदय द्वारा नहीं किया गया था। बंटीवर्धन व पुनित सुमन के बीच कोई रंजिश चल रही हो, इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि उपरोक्त पत्रावली में सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि अभियोजन स्वीकृति पर उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब का नाम अंकित नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि मैं कलेक्टर साहब के पास भौतिक सत्यापन के लिए दिनांक 18.08.2020 को गया था। जप्तशुदा को कलेक्टर साहब के पास लेकर गया, उसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में है। उस दिन मैंने माल को वापस जमा करा दिया था।

25. **गवाह पी0 ड 0-9 पंकज गुप्ता** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 18.08.2020 को न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था, उस दिन थाना महावीर नगर कोटा की एफआईआर संख्या 255/2020 पर तत्कालीन जिला कलेक्ट्रेट उज्ज्वल राठौड द्वारा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-13 जारी की गयी, जिस पर अंकित हस्ताक्षर ए से बी जिला कलेक्ट्रेट महोदय उज्ज्वल राठौड के हैं एवं सी से डी अंकित हस्ताक्षर श्री आर. डी. मीणा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के हैं जिन्हें मैं उनके अधीनस्थ कार्य किये जाने से पहचानता हूं। प्रदर्श पी-13 पर एक्स स्थान पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की सील अंकित है।

26. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि मैं उज्जवल राठौड नहीं हूं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि प्रदर्श पी-13 में मेरे कोई साइन नहीं हैं। प्रदर्श पी-13 में इस प्रकार को कोई नोट भी अंकित नहीं है कि प्रदर्श पी-13 में ए से बी व सी से डी हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये गये हों। भौतिक रूप से मेरे द्वारा कोई हथियार नहीं देखा गया और ना ही उसका परीक्षण किया गया। कलेक्टर साहब द्वारा

अभियोजन स्वीकृति किन परिस्थितियों में दी गयी,मुझे ज्ञात नहीं है, मैं अलग कमरे मे बैठता हूं।

27. **गवाह पी0 ड 0-10 पवन कुमार** ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं दिनांक 08.06.2020 को थाना महावीर नगर पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन हमराही जाप्ता एएसआई सतवीर सिंह कॉनि० विश्वेन्द्र सिंह, रामसिंह, जयवीर सिंह मय सरकारी जीप मय चालक कैलाश चंद मय अनुसंधान बॉक्स के इलाका गश्त चेकिंग व गुण्डा बदमाशान व अवैध कार्य की रोकथाम हेतु 2.57 पीएम पर थाने से रवाना होकर इलाका गश्त करते हुये टीवीएस सर्किल के पास पहुंचे, जहां जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने नारंगी रंग की टी-शर्ट व लोअर पहन रखी है जो बालाजी मार्केट में रजत सिटी के सामने नाले के पास खड़ा है जिसके पास एक अवैध देसी पिस्टल है जो कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत करवाया तथा मौके से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये गये सांकेतिक स्थान पर पहुंचे, जहां बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति नजर आया जो बावर्दी पुलिस को देखकर तेज कदमों से रजत सिटी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटीवर्धन पुत्र निपेन्द्र वर्धन निवासी केशवपुरा होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु जयवीर सिंह को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु रवाना किया किन्तु स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर मन एसएचओ ने जाप्ते में से कॉनि० जयवीर सिंह और विश्वेन्द्र सिंह को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह मामूर कर अपनी तलाशी गवाहों को दी एवं गवाहान की तलाशी मेरे द्वारा ली गयी और कोई संदिग्ध व आपत्तिजनक वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात बंटीवर्धन की तलाशी ली तो बंटीवर्धन द्वारा पहने हुये लॉअर / पायजामा में सामने की दांयी तरफ एक देसी पिस्टल छिपायी हुयी मिली जिसको बाहर निकलवाकर चैक किया तो उक्त देसी पिस्टल में लगी मैगजीन के अंदर तीन जिंदा कारतूस 7.65 बोर के मिले। पिस्टल पुरानी इस्तेमाली लोहे की थी। बंटीवर्धन से देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया तथा देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से खरीदना बताया। बंटीवर्धन का कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की परिधी में आने से बंटीवर्धन से बरामद अवैध देसी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिन्दा कारतूसों को बतोर वजह सबूत जर्ये फर्द प्रदर्श पी-1 जप्त कर एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर शील मोहर कर बंटीवर्धन को जर्ये फर्द प्रदर्श पी-2 गिरफ्तार किया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर मौके से मय माल मुल्जिम मय हमराही जाप्ते के साथ थाने पर आये। बंटीवर्धन के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज

किया था तथा अनुसंधान प्रेमचंद एएसआई को सुपुर्द किया। आईओ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मेरे सामने प्रदर्श पी-3 बनाया, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-14, रवानगी रपट प्रदर्श पी-5 है। गवाह के बयानों के दौरान थाना महावीर नगर से प्रकरण में जप्तशुदा माल एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में शीलशुदा हालत में न्यायालय में पेश हुआ जिस पर चिट प्रदर्श पी-15 चस्पा है जिसको न्यायालय की अनुमति से खोला गया। जिसमें एक देसी पिस्टल मय मैगजीन तथा तीन जिन्दा कारतूस तथा चस्पा चिट कार्बन प्रति निकली। गवाह ने देखकर बताया ये वही पिस्टल व मैगजीन कारतूस है जो मैंने मुल्जिम बंटीवर्धन के कब्जे से बरामद किये थे। पिस्टल आर्टिकल-1, मैगजीन आर्टिकल-2 एवं तीन जिंदा कारतूस आर्टिकल-3 लगायत 05 हैं। उक्त सभी फर्दों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना जाहिर किया है।

28. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस बात को सही बताया है कि इस प्रकरण में समस्त गवाहान पुलिसकर्मी ही हैं कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि मैंने बंटीवर्धन और पुनित सुमन उर्फ जिम्मी को आमने सामने करके कि वे एक दूसरे को जानते हों इस संबंध में उनके एक दूसरे के पहचान संबंधी फर्द नहीं बनायी। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि प्रत्येक सरकारी जीप में एक लॉगबुक होती है जिसे चालक के द्वारा भरा जाता है, उक्त लॉगबुक ये बताती है कि वह सरकारी वाहन किस दिन, किस समय पर किस स्थान पर गया, उस पर थाना इंचार्ज हस्ताक्षर करते हैं। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि लॉगबुक की प्रति शामिल पत्रावली नहीं है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि प्रदर्श पी-01 में इस बात का इंद्राज नहीं है कि उक्त देसी पिस्टल पुनित सुमन से कब, कहां और कितने रूपये में खरीदी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कलेक्टर साहब द्वारा पिस्टल का परीक्षण किया गया या नहीं। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस प्रकरण में मुझे कलेक्टर साहब ने मंजूरी दी या नहीं दी, कितु पत्रावली में सेक्शन उपलब्ध है। गवाह ने इस बात को सही बताया है कि फर्द में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है अज खुद कहा समस्त गवाह पुलिसकर्मी ही हैं।

29. पत्रावली पर आई साक्ष्य का परिशीलन अभियुक्त बंटीवर्धन पर आरोपित अपराध के संबंध में करें तो जाहिर है कि जब्ती अधिकारी पवन कुमार एसएचओ पुलिस थाना महावीर नगर कोटा ने फर्द चैकिंग व जब्ती पुलिस थाना महावीर नगर कोटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 08-06-2020 को मन् एसएचओ पवन कुमार मय हमराही जाप्ता एएसआई सतवीर सिंह, कॉनि० विश्वेन्द्र सिंह, रामसिंह, जयवीर सिंह मय सरकारी जीप मय चालक कैलाश चंद के गश्त इलाका करते हुए टीवीएस सर्किल के पास पहुंचे,

Authenticated Document

जहां जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने नारंगी रंग की टी-शर्ट व लोअर पहन रखी है जो बालाजी मार्केट में रजत सिटी के सामने नाले के पास खड़ा है जिसके पास एक अवैध देसी पिस्टल है जो कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत करवाया तथा मौके से रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये गये सांकेतिक स्थान पर पहुंचे, जहां बताये गये हुलिये का एक व्यक्ति नजर आया जो बावर्दी पुलिस को देखकर तेज कदमों से रजत सिटी बिल्डिंग की तरफ जाने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से रोका व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बंटीवर्धन पुत्र निपेन्द्र वर्धन होना बताया। जिसकी तलाशी हेतु जयवीर सिंह को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु रवाना किया, किन्तु स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर मन एसएचओ ने जाप्ते में से कॉनि० जयवीर सिंह और विश्वेन्द्र सिंह को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह मामूर कर बंटीवर्धन की तलाशी ली तो बंटीवर्धन द्वारा पहने हुये लोअर / पायजामा में सामने की दांई तरफ एक देसी पिस्टल छिपाई हुई मिली, जिसको बाहर निकलवाकर चैक किया तो उक्त देसी पिस्टल में लगी मैगजीन के अंदर तीन जिंदा कारतूस 7.65 बोर के मिले। पिस्टल पुरानी इस्तेमाली लोहे की थी। बंटीवर्धन से देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस रखने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया तथा देसी पिस्टल व जिन्दा कारतूस पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से खरीदना बताया। बंटीवर्धन का कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से बंटीवर्धन से बरामद अवैध देसी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिन्दा कारतूसों को बतौर वजह सबूत जप्त कर सील्डमोहर किया तथा बंटीवर्धन को गिरफ्तार किया इत्यादि.......................।

30. उक्त फर्द चैकिंग व जब्ती को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी0 ड 0-1 जयवीर सिंह, पी0 ड 0-2 सतवीर सिंह, पी0 ड 0-3 विश्वेन्द्र सिंह, पी0 ड 0-4 रामसिंह, पी0 ड 0-7 कैलाश, पी0 ड 0-10 पवन कुमार को पेश कर परीक्षित करवाया है। उक्त सभी गवाहान ने अपने मुख्य परीक्षण में फर्द चैकिंग व जब्ती में अंकित घटनाक्रम की हुबहू ताईद की है, उक्त गवाहान से हुए प्रतिपरीक्षण को देखें तो सभी गवाहान जिरह में अखण्डित रहे हैं ।

31. गवाह पी0 ड 0-6 बाबूलाल एचएम मालखाना पुलिस थाना महावीर नगर कोटा द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस प्रकरण में गवाह पी0 ड 0-10 पवन कुमार सीआई द्वारा सील्डशुदा पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बा को मालखाने में जमा करवाने हेतु उसे सुपुर्द करना कहता है। जिसका इंद्राज उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 211 पर किया जाना तथा दिनांक 23-06-2020 को उक्त पैकेट को जिला आरमोरर से मैकेनिकल मुआयना करवाने हेतु अनुसंधान अधिकारी प्रेमचंद एएसआई को सुपुर्द करना व उसके बाद जिला आरमोरर की

सील से सील्डशुदा पैकेट वापस जमा मालखाना करवाया जाना कथन करता है व दिनांक 18-08-2020 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पैकेट को आईओ को सुपुर्द करना व अभियोजन स्वीकृति के बाद जमा मालखाना किया जाना बताता है व असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-9 व उसकी प्रति प्रदर्श पी-9 ए पर ए से बी अपने हस्ताक्षरों को पुष्ट करता है ।

32. गवाह पी0 ड 0-4 मोहम्मद आरिफ द्वारा न्यायालय के समक्ष थाना महावीर नगर से अनुसंधान अधिकारी प्रेमचंद एसआई द्वारा एक पैकेट सफेद प्लास्टिक के डिब्बे में जो थाना महावीर नगर कोटा की सील से सील्ड था की सील खोलकर उसके अंदर रखे एक देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन कारतूस का मेकेनिकल मुआयना किया जाना बताया गया है तथा देशी पिस्टल व कारतूस का फायर एमुनेशन की श्रेणी में होना व चालू हालत में फायर योग्य होना पुष्ट किया है।

33. अभियोजन स्वीकृति के संबंध में गवाह पी0 ड 0-9 पंकज गुप्ता ने पुलिस थाना महावीर नगर की एफआईआर नंबर 255/2020 पर तत्कालीन जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड द्वारा धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-13 जारी करने का कथन करते हुए, उस पर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर को उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानने का कथन करते हुए अभियोजन स्वीकृति की ताईद की है।

34. अनुसंधान अधिकारी पी0 ड 0-8 प्रेमचंद ने भी अपने द्वारा किये गये अनुसंधान की पुष्टि की है ।

35. ऐसी सूरत में उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 08-06-2020 को समय 4.15 पीएम के लगभग पुलिस थाना महावीर नगर कोटा के क्षेत्राधिकार में बालाजी मार्केट रजत सिटी के सामने नाले के पास अभियुक्त बंटीवर्धन के वास्तविक कब्जे व आधिपत्य से एक देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिंदा कारतूस मिले, जिनको अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था। इस स्थिति में अभियुक्त बंटीवर्धन को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत होता है।

36. पत्रावली पर आई साक्ष्य का परिशीलन अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/25 आयुध अधिनियम के संबंध में करें तो जाहिर है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से जप्तशुदा देशी पिस्टल व कारतूस का अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी द्वारा अभियुक्त बंटीवर्धन को विक्रय करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना जाहिर नहीं होता है। फर्द चैकिंग व जप्ती अधिकारी पी0 ड 0-10 पवन कुमार की साक्ष्य को देखें तो

उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने बंटीवर्धन और पुनित सुमन उर्फ जिम्मी को आमने सामने करके कि वे एक दूसरे कोजानते हो, इस संबंध में उनके एक दूसरे से पहचान संबंधी कोई फर्द नहीं बनाई।

37. इसी प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0 ड 0-8 प्रेमचंद की साक्ष्य को देखें तो उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से कोई अलाय जरब बरामद नहीं किया गया तथा बंटीवर्धन व पुनित सुमन को आमने-सामने खडा करके दोनों एक दूसरे को जानते हों ऐसी कोई फर्द नहीं है। उक्त गवाह ने बंटीवर्धन व पुनित सुमन के मध्य कोई रंजिश होने बाबत भी अनुसंधान नहीं किया गया है।

38. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर इस बाबत भी कोई साक्ष्य नहीं है कि देशी पिस्टल अभियुक्त पुनित सुमन से कब, कहां और कितने रूपये में अभियुक्त बंटीवर्धन द्वारा खरीद की गई । महज धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्त बंटीवर्धन द्वारा दिये जाने के आधार पर कि *"मैंने पुनित सुमन उर्फ जिम्मी निवासी महावीर नगर सैकण्ड से देशी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस खरीद किया था, उस व्यक्ति व मकान को चलकर बता सकता हूं "* पुलिस के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति है जो न्यायालय में सीधे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है। उक्त सूचना में उस स्थान का भी अंकन नहीं है जिस स्थान के संबंध में सूचना दी गई है। इसके साथ ही किसी प्रकार की कोई बरामदगी अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी से नहीं की गई है, ऐसी सूरत में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-10 के आधार पर तस्दीक किये गये घटनास्थल से अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी द्वारा अभियुक्त बंटीवर्धन को जप्तशुदा एक देशी पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस विक्रय किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

39. ऐसी सूरत में उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 08-06-2020 को अभियुक्त बंटीवर्धन के वास्तविक कब्जे व आधिपत्य से जप्त एक देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिंदा कारतूस को अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी ने अभियुक्त बंटीवर्धन को विक्रय किया और जिन्हें विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखने का अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी के पास कोई विधिक अनुज्ञापत्र नहीं था। इस स्थिति में अभियुक्त पुनित सुमन उर्फ जिम्मी को धारा 5/25 आयुध अधिनियम के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

40. परिणामस्वरूपः अभियुक्त **पुनित सुमन उर्फ जिम्मी** पुत्र रमेश चंद, निवासी 740 महावीर नगर द्वितीय, पुलिस थाना महावीर नगर कोटा को उस

पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/25 आयुध अधिनियम से संदेह का लाभ दिया जाकर तथा अभियुक्त **बंटीवर्धन** पुत्र निपेन्द्र वर्धन, निवासी 326 केशवपुरा सेक्टर-4 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

41. अभियुक्तगण के इस प्रकरण में हाजिरी बाबत वर्तमान जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-4 कोटा(राज.)

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

42. सजा के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त बंटीवर्धन का कहना है कि अभियुक्त लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है । अभियुक्त गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है वह आपराधिक प्रवृत्ति का भी नहीं है । अतः उसकी सजा में नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे न्यूनतम सजा से दण्डित किया जाये ।

43. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त को अधिकतम सजा से दण्डित किया जाने का निवेदन किया ।

44. दोनों पक्षों तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त वर्ष 2020 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त की आयु, सामाजिक परिवेश, मामले की प्रकृति, परिस्थितियों व साबित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत होता है।

: : दंडादेश : :

45. अतः अभियुक्त **बंटीवर्धन** पुत्र निपेन्द्र वर्धन, निवासी 326 केशवपुरा सेक्टर-4 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्धी के लिए एक वर्ष छः माह के साधारण कारावास एवं 5,000/-रूपये (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त छः माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रुप से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में यदि कोई

अवधि पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई हो, तो वह धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे।

46. प्रकरण में जप्तशुदा माल एक देशी पिस्टल मय मैगजीन व तीन जिंदा कारतूस अपील अवधि की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार जिला शस्त्रागार कोटा में जमा किया जावे और अपील होने की स्थिति में मालखाना सुरक्षित रखा जाये व माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार माल का निस्तारण किया जाये।

47. अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार किया जावे।

48. अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-4 कोटा(राज.)

49. निर्णय आज दिनांक 14-07-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया।

ASHA JAIN
Digitally signed by ASHA JAIN
Date: 2026.07.14 16:33:26 +0530

(बीना गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-4 कोटा(राज.)

Authenticated Document